प्रकरण संख्या 11/2014 मानजी बनाम मखला

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी नंबर 9, 10, 11, 13, 14, 277/11, 311/1, 312/17 कुल किता 8 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम हाडी में स्थित है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज मानजी पिता हीरा का 1/4 हिस्सा दर्ज था। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर हीरा जी के 4 पुत्र मनजी, मानजी, सोमजी व कालिया हुए। उक्त साबिक आराजी नंबर के नये नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार हैं, जिसे प्रतिवादीगण ने भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम अंकित करवा लिया एवं वादीगण का नाम हटा दिया। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजियात में सहखातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरस्ती की जावे तथा तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किस्म अनुसार बंटवारा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मृतक मनजी के वैध उत्तराधिकारी होकर खातेदार कृषक हैं तथा कदीम समय से काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण का उक्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण ने काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया, जिसका जवाबुल जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबुल जवाब के आधार पर 5 तनकिया कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.02.2014 से वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.04.2014 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री मुकेश त्रिवेदी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय	

	की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जो राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आयी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है, जबकि वादीगण ने अपने वाद को दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय मिलान क्षेत्रफल के अभाव में वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित किया है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर लिया गया है, जिस पर पक्षकारों की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण में पुनः निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल व पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों पर उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एम.एल. चौहान) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 13:23:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: